

प्रकरण सं० २२/२१ अनवान सत्यनारायण / कृष्णलाल

Continuation Note Sheet

14-5-22

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.05.2022 में पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से वकील अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेन्टस के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अपीलार्थी की ओर से वकील अपीलार्थी के निवेदन एवं अपीलार्थी द्वारा अपील में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

14/5/22  
(राजकुमार कुंदर)।  
सदस्य  
लोक अदालत  
बेंच संख्या-9  
भीमनगर  
(राजस्व न्यायालय)

(नवदीप)  
अध्यक्ष  
लोक अदालत,  
बेंच संख्या-9 भीमनगर

